न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/21

उनवान

विशेष विक 1 रामसहाय कुमावत पुत्र श्री सीताराम कुमावत जाति कुमावत निवासी वार्ड नं सेवा की ढाणी रावपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्राथीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

2 अर्जनलाल
3 पूरण मल पि0 भगवान सहायक
4 मूलचन्द
5. रामप्यारी पत्नि भगवान सहाय
6 फूलचन्द पुत्र सीताराम
7 बालूराम पुत्र कजोडमल
समस्त जाति कुमावत निवासी रावपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

उपस्थित 1 श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती इन्द्राज

आदेश दिनांक 24.2.2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 1.50 है0 कुल किता 1 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा मे स्थित है जिसका प्रार्थी 1/6 का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का लोक दस्तावेजात अनुसार व शिक्षा अनुसार नाम रामसहाय कुमावत है जबकि घर का बोलता नाम दौलाराम है तथा प्रार्थी की जाति कुम्हार प्रजापती नहीं होकर कुमावत है जबकि राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी का बोलता नाम दौलाराम दर्ज कर दिया तथा जाति कुम्हार दर्ज कर दी जो मानवीय भूल होने के कारण काबिले दुरूस्ती है। इस सम्बन्ध में राजस्व लोक अदालीत में भी प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु प्रार्थी का नाम दुरूस्त नहीं किया गया । प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दौलाराम दर्ज होने तथा सरकारी दस्तावेज में रामसहाय तथा जाति कुमावत होने से सरकारी सहायता ऋण व सहकारिता विभाग के लाभ से वंचित होना पड रहा है जिस कारण प्रार्थी का नाम दौलाराम जाति कुम्हार की जगह नाम रामसहाय व जाति कुमावत दर्ज किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अपने पत्र कमाक भू0अ0/2021/ 866 दिनांक 24.2.2021 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 1.50 है0 में प्रार्थी का नाम विरासत नामान्तकरण सं0 307 दिनांक 26.8.1998 के तहत दौलाराम पि0 सीताराम हि0 1/6 जाति कुम्हार दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम जमाबन्दी सं0 2051 से 2054, 2059 से 2062, 2063 से 2066, 2067 से 2070, 2071 से 2074 व 2074 से 2077 में दौलाराम पि0 सीताराम हि0 1/6 जाति कुम्हार दर्ज चला आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का नाम जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज में है वह नामान्तकरण सं0 307 दिनांक 26.8.1998 विरासत से भूमि नाम दर्ज हुई है तथा वर्तमान में भी वही इन्द्राज लगातार बदस्तुर चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज हुआ है चूंकि साबिक रिकार्ड के अनुसार वर्तमान रिकार्ड में नाम बदस्तुर होने से प्रकरण खातेदारी घोषणा या अपील का बनता है, 136 एल आर एक्ट में प्रकरण पोषणीय नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट लिपिकीय त्रुटि नहीं होने से तथा प्रकरण पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2021 को सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर